

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 1977 भावण 7, 1899

No. 256]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 1977/SRAVANA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th July 1977

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Thirteenth Amendment Regulations, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

(1557)

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading "Andhra Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely —

"ANDHRA PRADESH"

1. Senior posts under the State Government	125
Chief Secretary to Government	1
Commissioner of Land Revenue	1
Second Secretary to Government	1
Commissioners	5
Secretaries to Government	9
Director of Industries	1
Registrar of Co-operative Societies	1
Commissioner of Labour	1
Additional/Joint/Deputy Secretaries to Government	28
Secretary to Revenue Commissioner	1
Additional/Joint Secretary to Revenue Commissioner	2
Collectors and District Magistrates	21
Special Collectors	2
District Revenue Officers	21
Deputy Commissioner of Excise	1
Secretary to Commissioner, Excise and Civil Supplies	1
Director of Civil Supplies	1
Director of Handlooms and Textiles	1
Director of Employment and Training	1
Secretary to Governor	1
Sub-Collectors, Grade I	8
Director of Municipal Administration	1
Transport Commissioner	1
Director of Social Welfare	1
Director of Settlement, Survey and Land Records	1
Director of Sugar and ex-officio Addl. Registrar of Co-operative Societies	1
Deputy Commissioner of Commercial Taxes	3
Secretary to the Commissioner of Commercial Taxes	1
Director of Printing and Stationery	1
Commissioner of Hindu Religious and Charitable Endowments	1
Project Administrator of Command Areas	3
Director of Agriculture	1
Director of Distilleries and Breweries	1
	125
2. Central Deputation Reserve @ 40 of 1 above	50
	175
3. Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of 1 and 2 above	43
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above	132
5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above	46*
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above	7

7. Junior posts @ 20-60% of 4 above	27
8 Training Reserve @ 10-59% of 4 above	14
Direct Recruitment Posts	226
Promotion Posts	43
Total Authorised Strength	269

* Includes 20 posts in excess of 20% of item 4.

1. Chairman and Managing Director, Singareni Collieries Co. Ltd.
2. Managing Director, Andhra Pradesh Industrial Development Corporation
3. Chairman & Managing Director, Automobile Tyres & Tubes Ltd.
4. Vice-Chairman, Urban Development Authority Hyderabad.
5. Managing Director, Andhra Pradesh Rayons Ltd.
6. Managing Director, A.P. Industrial Infrastructure Corporation
7. Managing Director, Girijan Cooperative Corporation Ltd. Visakhapatnam.
8. Managing Director, Andhra Pradesh State Financial Corporation.
9. Special Officer and Commissioner, Municipal Corporation Hyderabad.
10. Managing Director, 'Ready to Eat' Food Factory, Nacharam, Hyderabad.
11. Vice-Chairman & Managing Director, Nijam Sugar Factory, Ltd., Hyderabad.
12. Managing Director Indo-Nippon Precision Bearing Ltd.
13. Chairman and Managing Director, Hyderabad Allwyn Metal Works Limited.
14. Managing Director, Andhra Pradesh Mining Corporation.
15. Managing Director, Andhra Pradesh Small Scale Industrial Development Corporation Hyderabad
16. Chairman, Town Planning Trust, Visakhapatnam
17. Managing Director, Andhra Pradesh Steels Ltd.
18. Managing Director, Agro-Industries Corporation Ltd.
19. On account of deputation of Sushil Kumar (IAS) to Delhi Admn.
20. On account of deputation of Shri S. K. Arora to Punjab.

N.B.—Prior to issue of this notification, the total authorised cadre strength of Andhra Pradesh was 262

[No. 11031/30/76-AIS(II)-A]

K. L. NEGI, Under Secy

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1977

सांकांमि० 544(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप नियम (2) के साथ पड़ित अधिलक्ष भारतीय अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 1977 है।

(2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में “आन्ध्र प्रदेश”, शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“आन्ध्र प्रदेश”

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	125
सरकार के मुख्य सचिव	1
आयुक्त भूमि राजस्व	1
सरकार के द्वितीय सचिव	1
आयुक्त	5
सरकार के सचिव	9
परियोजना प्रशासक और क्षेत्रीय कमांड	3
निदेशक हाथ करघा तथा वस्त्र	1
उद्योग निदेशक	1
पंजीयक सहकारी समितियां	1
श्रम आयुक्त	1
अपर संयुक्त, उप सचिव	28
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
अपर संयुक्त सचिव, राजस्व आयुक्त	2
समाहर्ता तथा जिला दण्डाधिकारी	21
विशेष समाहर्ता	2
जिला राजस्व अधिकारी	21
आबकारी उप आयुक्त	1
कमिश्नर के सचिव, आबकारी सिविल पूर्ति	1
निदेशक, सिविल पूर्ति	1
निदेशक प्रशिक्षण तथा नियोजन	1
राज्यपाल के सचिव	1
उप समाहर्ता ग्रेड-1	8

निदेशक, नगर प्रशासन	. 1
परिवहन आयुक्त	. 1
निदेशक, समाज कल्याण	. 1
निदेशक, बन्दोबस्त सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख	. 1
चिनी निदेशक अपर पजीयक, महकारी समितिया	. 1
उप आयुक्त वाणिज्य कर	. 3
आयुक्त के सचिव वाणिज्य कर	. 1
निदेशक मुद्रण तथा लेखन मामली	. 1
निदेशक कृषि	. 1
निदेशक आसवनी और मद्यशाला	. 1
आयुक्त हिन्दु धर्म तथा पुण्यार्थ निधि	. 1

125

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत
के हिसाब से . . . 50

175

3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम
8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रचरण द्वारा भरे जाने
वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब
से . . . 43
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2
में 3 घटाकर . . . 132
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व . . . 46*
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 अ के 5 प्रतिशत के हिसाब
से . . . 7
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से . . . 27
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब
से . . . 14

सीधी भर्ती वाले पद . . . 226

पदोन्नति वाले पद . . . 43

कुल प्राधिकृत संश संख्या . . . 269

*मद 4 के 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 20 पद शामिल है ।

1. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०

2. प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम
3. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक आटोमोबाइल आर्म्स तथा ट्यूब्स लि०
4. उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण हैदराबाद
5. प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश रेयन्स लि०
6. प्रबन्ध निदेशक, ए० पी० इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम
7. प्रबन्ध निदेशक गिरिजन कोआपरेटिव कारपोरेशन लि० विशाखापटनम
8. प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम
9. विशेष अधिकारी तथा आयुक्त नगर निगम हैदराबाद
10. प्रबन्ध निदेशक, रेडी टू "ईट" फूड फैक्टरी नवरम हैदराबाद
11. उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक निजाम शूगर फैक्टरी हैदराबाद
12. प्रबन्ध निदेशक इंडो-निप्पोन प्रेसीजन बेयरिंग लि०
13. अध्यक्ष तथा आन्ध्र प्रबन्ध निदेशक हैदराबाद एवैन मेटल वर्क्स लि०
14. प्रबन्ध निदेशक आन्ध्र माइनिंग कारपोरेशन
15. प्रबन्ध निदेशक आन्ध्र लघु उद्योग विकास निगम हैदराबाद
16. अध्यक्ष टाउन प्लानिंग ट्रस्ट विशाखापटनम
17. प्रबन्ध निदेशक आन्ध्र प्रदेश स्टील लि०
18. प्रबन्ध निदेशक कृषि उद्योग निगम, लि०
19. दिल्ली प्रशासन में सुशील कुमार (आई० ए० एस०) की प्रतिनियुक्ति के कारण
20. पंजाब में श्री एस० के० अरोड़ा की प्रतिनियुक्ति के कारण

विशेष ध्यान दें.—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व आन्ध्र प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 262 थी ।

[सं० 11031, 30, 76-प्र०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) VIIIth Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) In Schedule III-A,—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Government's in the Table, for the entry "Andhra Pradesh "

occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns the following shall be constituted, namely :—

“ANDHRA PRADESH”

State	Particulars of Posts	Pay Scales of pay
Andhra Pradesh	Chief Secretary to Government	Rs. 3,500/-
	Commissioner of Land Revenue	Rs. 3,000/-
	Second Secretary to Government	Rs. 3,000/-
	Commissioners	Rs. 2,500—125/2—2,750
	Secretaries to Government	Rs. 2,500—125/2—2,750

(b) In 'Schedule III-B—Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)', in the Table for the entry "I Andhra Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Director of Industries.
 Registrar of Co-operative Societies.
 Commissioner of Labour.
 Additional/Joint/Deputy Secretaries to Government
 Secretary to Revenue Commissioner.
 Additional/Joint Secretary to Revenue Commissioner.
 Collectors and District Magistrates.
 Special Collectors.
 District Revenue Officers
 Deputy Commissioner of Excise.
 Secretary to Commissioner, Excise and Civil Supplies.
 Director of Civil Supplies.
 Director of Handicrafts and Textiles
 Director of Employment and Training.
 Secretary to Governor.
 Sub-Collectors, Grade I.
 Director of Municipal Administration.
 Transport Commissioner.
 Director of Social Welfare.
 Director of Settlement, Survey and Land Records.
 Director of Sugar and *ex-officio* Additional Registrar of Co-operative Societies.
 Deputy Commissioner of Commercial Taxes.
 Secretary to the Commissioner of Commercial Taxes
 Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments.
 Director of Printing and Stationery.
 Project Administrator of Command Areas.
 Director of Agriculture.
 Director of Distilleries and Breweries.

[No. 11031/30/76-AIS(II)-B]

K. L. NEGI, Under Secy.

सा०का०नि० 545(अ)—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा (3) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III-क में:—

(क) राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद सारणी में “आन्ध्र प्रदेश” के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन वेतन क्रम
“आन्ध्र प्रदेश	सरकार के मुख्य सचिव	3,500'—
	आयुक्त, भूमि राजस्व	3,000'—
	सरकार के द्वितीय सचिव	3,000'—
	आयुक्त	2,500—125/2—2,750
	सरकार के सचिव	2,500—125 2—2,750

(ख) ‘अनुसूची 3-ख—राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से वेतन वाले पद जिसके अन्तर्गत समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं’ सारणी में “आन्ध्र प्रदेश” के सामने द्वितीय सतम्ब विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

उद्योग निदेशक

पंजीयक, सहकारी समितियाँ

श्रम आयुक्त

अपर संयुक्त उप सचिव

सचिव, राजस्व आयुक्त

अपर संयुक्त सचिव, राजस्व आयुक्त

समाहर्ता तथा जिला षण्डाधिकारी

विशेष समाहर्ता

जिला राजस्व अधिकारी

आबकारी उप आयुक्त

सचिव, आबकारी सिविल तथा पूर्ति कमिशनर
 निदेशक, सिविल पूर्ति
 निदेशक, हथकरघा तथा वस्त्र
 निदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण
 राज्यपाल के सचिव
 उप समाहर्ता ग्रेड I
 निदेशक, नगर प्रशासन
 परिवहन आयुक्त
 निदेशक, समाज कल्याण
 निदेशक, बन्दोबस्त, सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख
 चीनी निदेशक तथा पदेन अपर पंजीयक, सहकारी समितियां
 उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर
 सचिव, वाणिज्यिक कर आयुक्त
 आयुक्त हिन्दू धर्म तथा पुण्यार्थ निधि
 निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री
 परियोजना प्रशासक, कमांड एरिया
 कृषि निदेशक
 निदेशक, आसवनी और मग शाला

[सं० 11031/30/76-ए०आई०एस०(II)-ख]

के० एल० नेगी, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
 मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

